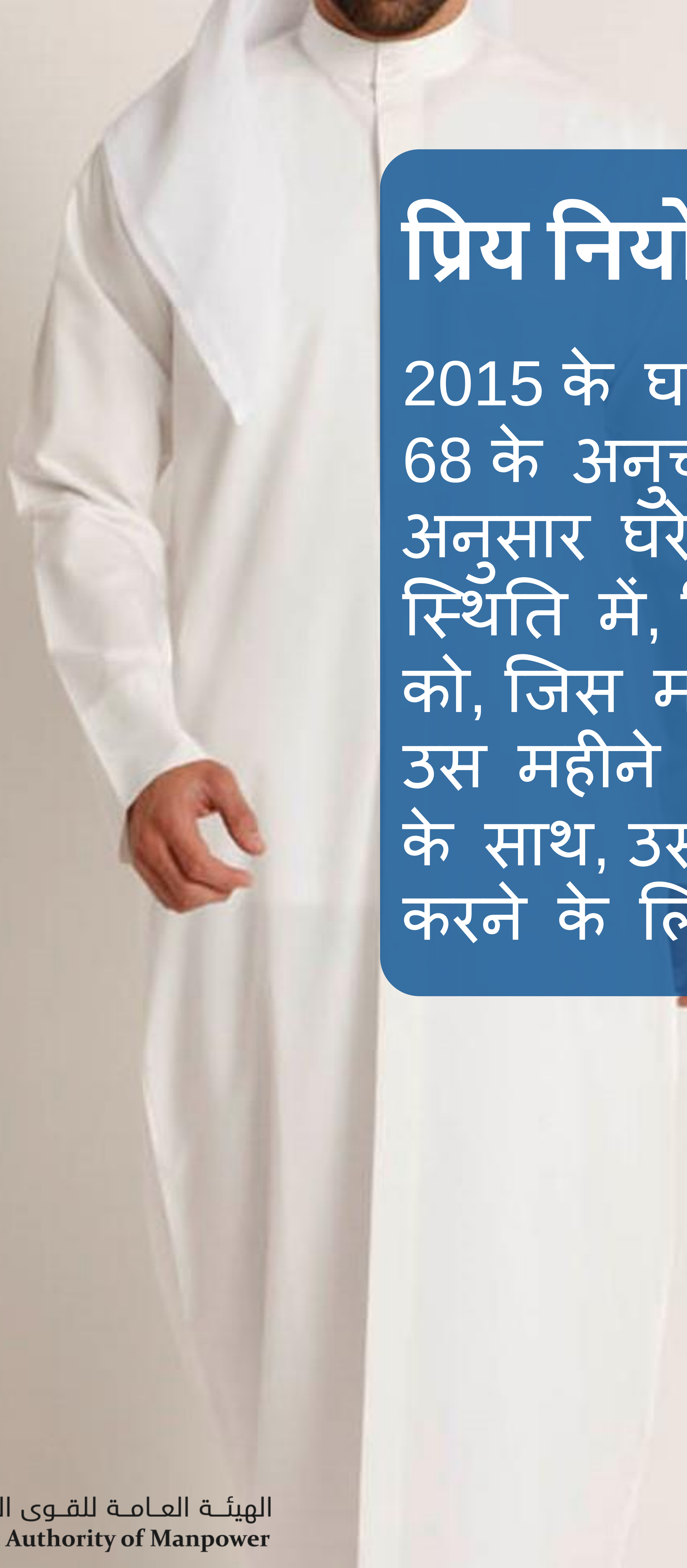

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ़ 5 के अनुसार घरेलू कामगार की मृत्यु की स्थिति में, नियोक्ता श्रमिक के शरीर को, जिस महीने उसकी मृत्यु हुई उस महीने की मजदूरी के भुगतान के साथ, उसके देश में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है।

الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

कार्यस्थल में गोपनीयता और निजता को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत न होने पर घरेलू कामगार को काम के घंटों के बाद फ़ोन रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार है।

प्रिय नियोक्ता

घरेलू कामगार को कुवैत देश के बाहर का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए और अगर यह साबित हो जाता है कि उसकी सहमति के बिना ऐसा हुआ है तो मॉडल रोजगार अनुबंध के खंड V - नियोक्ता के दायित्व के पैराग्राफ़ 9 के अनुसार घरेलू कामगार को नियोक्ता की खर्चे पर उसके देश वापस भेज दिया जाएगा।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता
2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 27 के अनुसार सहमत तिथियों पर मजदूरी का भुगतान करने में देरी की स्थिति में, घरेलू कामगार समय पर मजदूरी न मिलने पर प्रत्येक माह की देरी के लिए 10 दिनार प्राप्त करने का हकदार है।
الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower
MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ़ 2 और मॉडल रोजगार अनुबंध के खंड सात के पैराग्राफ़ क्रमांक 3 - सामान्य प्रावधान के अनुसार घरेलू कामगार से प्रति दिन 12 घंटे से अधिक के लिए काम नहीं लिया जा सकता है, बशर्ते कि प्रति दिन काम के घंटे पाँच घंटे से अधिक न हों और उसके बाद कम से कम एक घंटे की आराम अवधि हो और घरेलू कामगार कम से कम लगातार 8 घंटे के लिए रात्रि के विश्राम का हकदार है।

الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुसार घरेलू कामगार भुगतान के साथ एक साप्ताहिक आराम पाने का हकदार है।

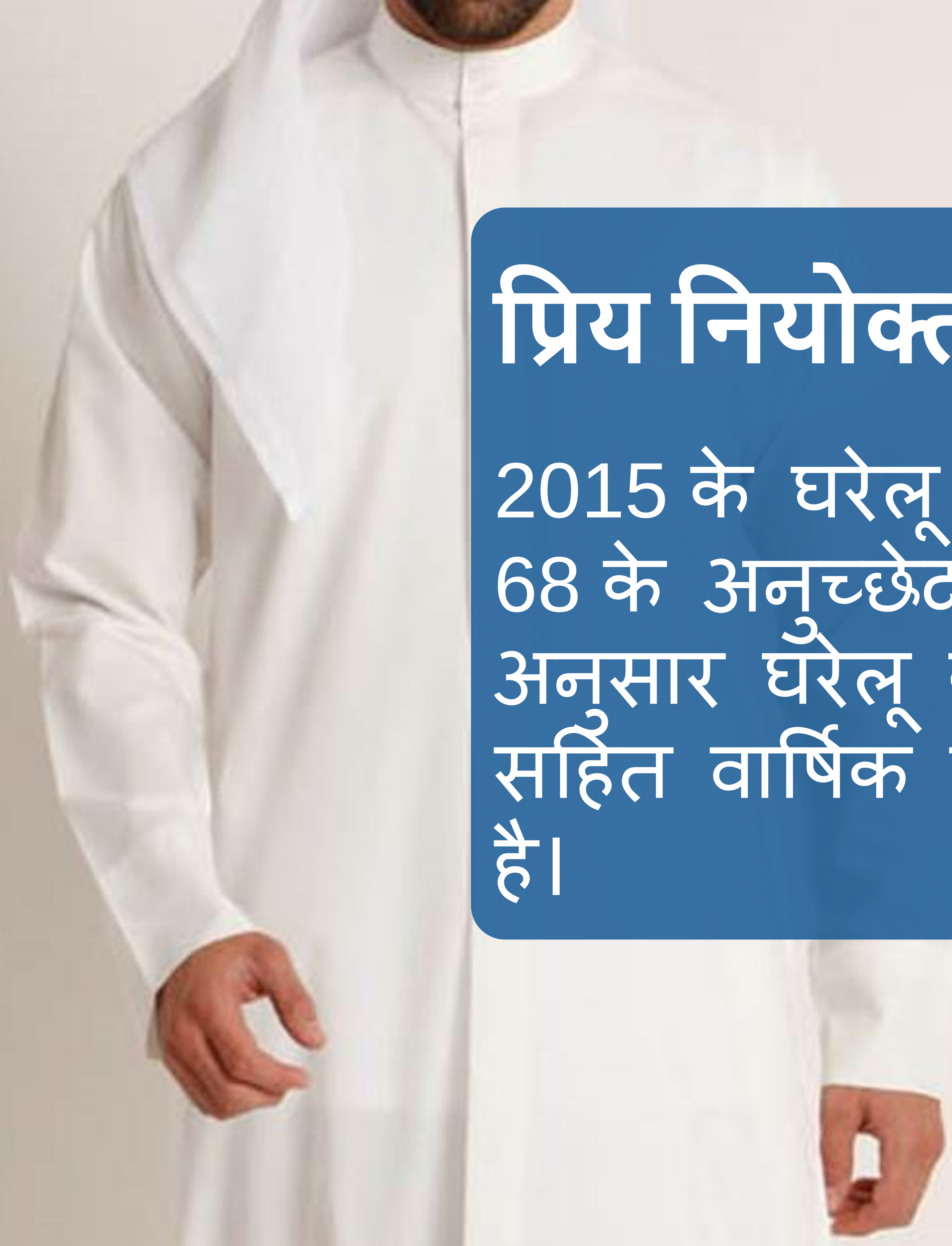

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ़ 3 के अनुसार घरेलू कामगार भुगतान सहित वार्षिक छुट्टी पाने का हकदार है।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

घरेलू कामगार का पासपोर्ट एक व्यक्तिगत दस्तावेज़ है जिसे वह अपने पास रखने का हकदार है। 2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ़ 4 के अनुसार नियोक्ता घरेलू कामगार की व्यक्तिगत सहमति के बिना पासपोर्ट को जब्त नहीं कर सकता है और उसे अपने पास रखने से नहीं रोक सकता है।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

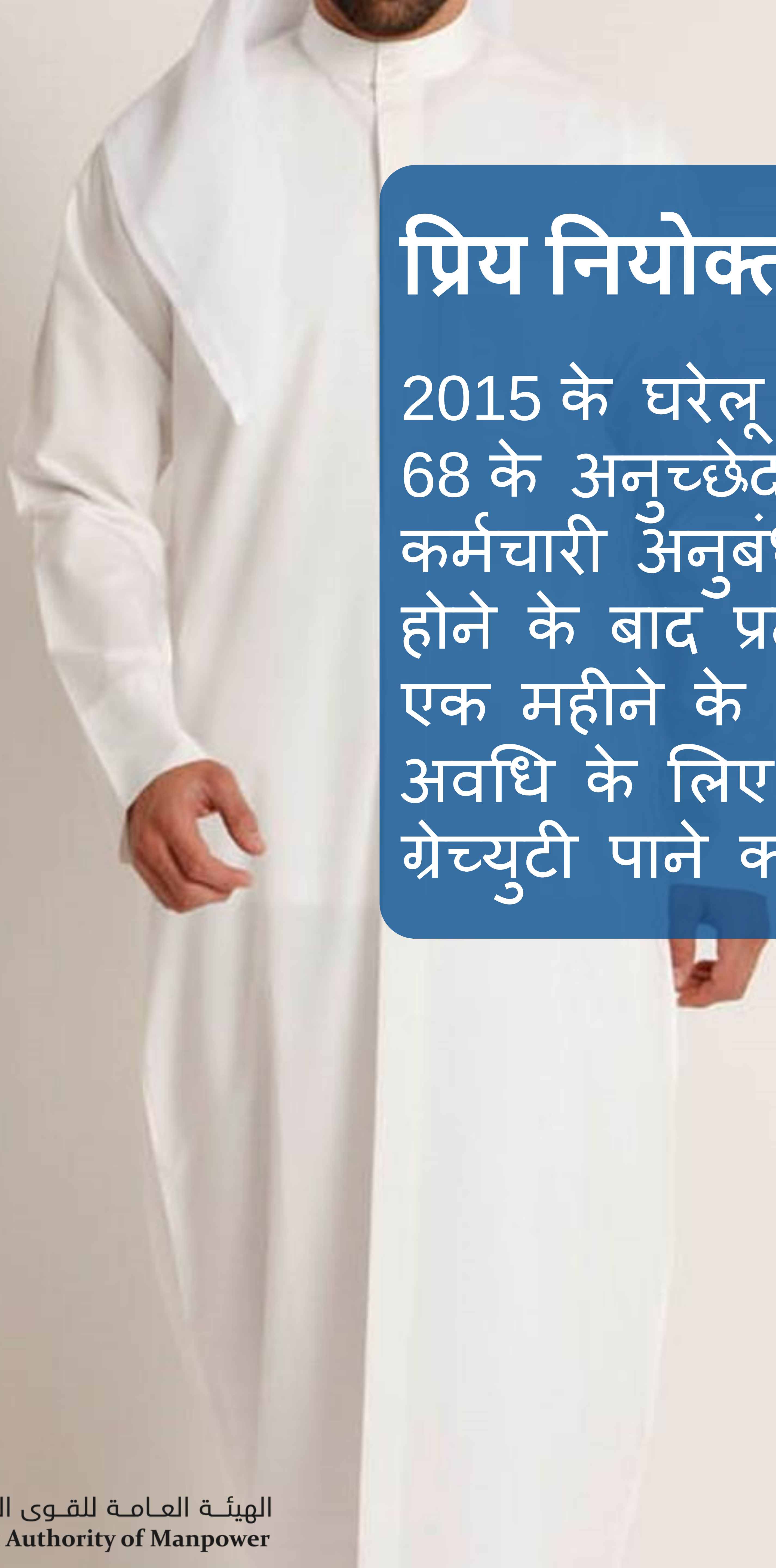

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून संख्या 68 के अनुच्छेद 23 के अनुसार, घरेलू कर्मचारी अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर की अवधि के लिए सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी पाने का हकदार है।

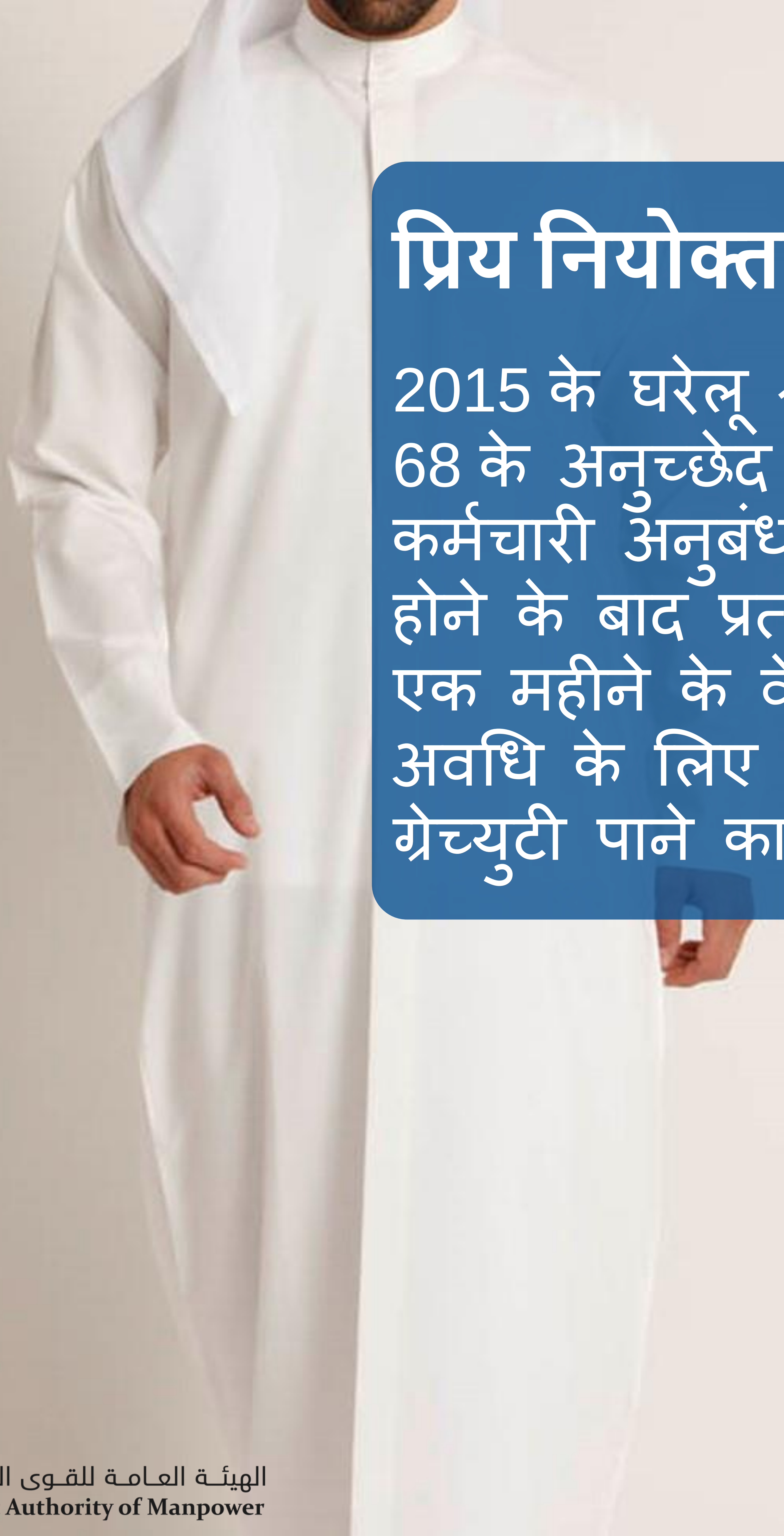

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून संख्या 68 के अनुच्छेद 23 के अनुसार, घरेलू कर्मचारी अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर की अवधि के लिए सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी पाने का हकदार है।

प्रिय नियोक्ता और घरेलू कामगार

पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में इस संबंध में जारी विनियमों द्‌वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार दोनों पक्ष विवादों को निपटाने के लिए घरेलू कामगारों की भर्ती को विनियमित करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं। 2015 की संख्या 68।

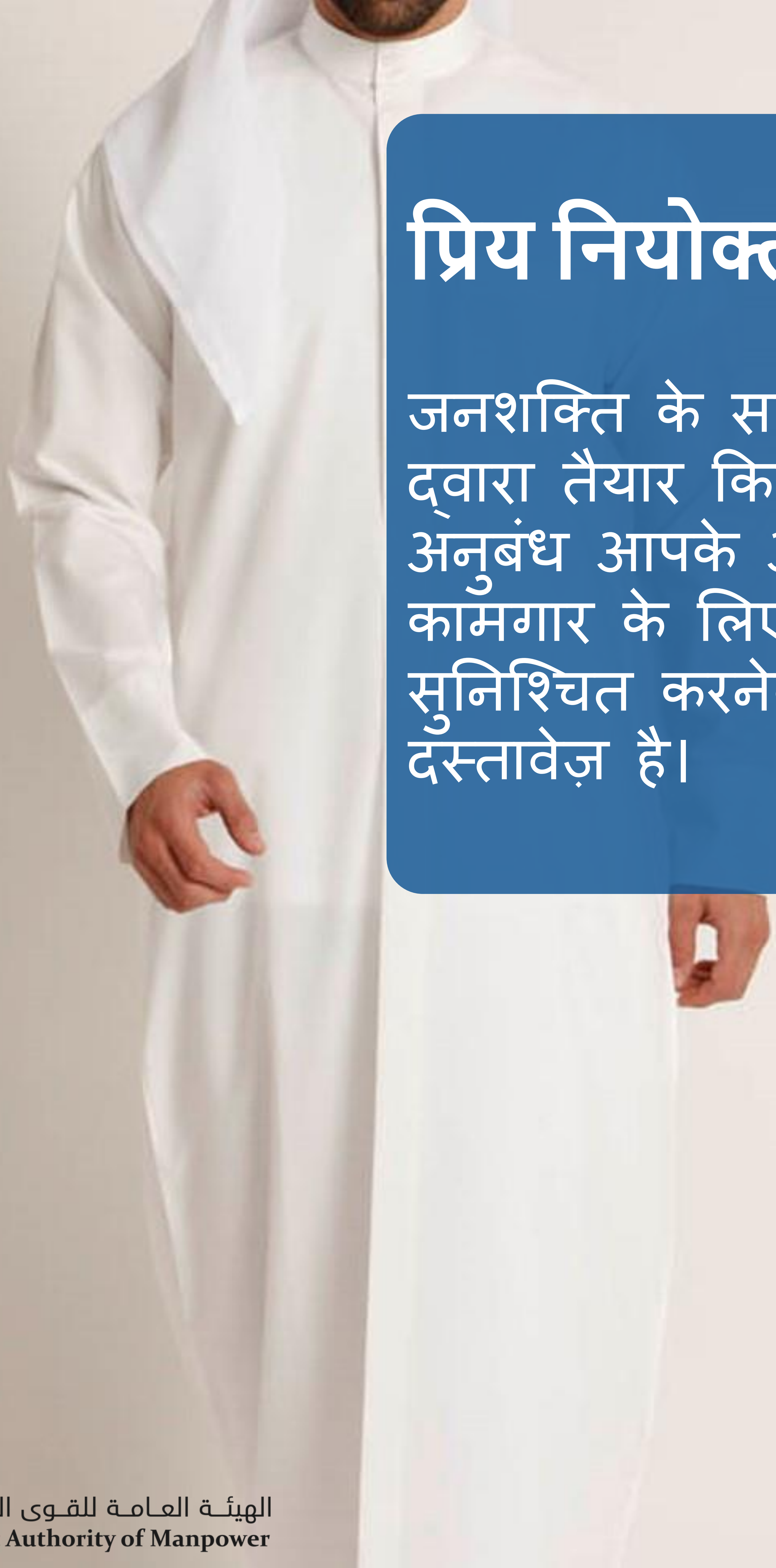

प्रिय नियोक्ता

जनशक्ति के सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया मॉडल रोजगार अनुबंध आपके और आपके घरेलू कामगार के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करनेवाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है।

प्रिय नियोक्ता

जनशक्ति के लोक प्राधिकरण में घरेलू कामगारों की भर्ती को विनियमित करने वाले विभाग द्वारा जारी परिस्थितियों के अनुसार, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय भर्ती अनुबंध के अलावा घरेलू कामगार को काम पर भर्ती करने की अनुमति नहीं है, जो वर्ष 2015 के लिए घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 18 के अनुसार अंग्रेजी और अरबी दोनों में लिखा गया है।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

आप 2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 में निर्दिष्ट निम्नलिखित मामलों में कर्मचारी को कार्यालय/कंपनी से प्राप्त करने के छह महीने के भीतर घरेलू श्रम भर्ती कार्यालय/कंपनी द्वारा एकत्र की गई राशि के रिफ़ंड के हकदार हैं:

प्रिय नियोक्ता

- यदि कोई कानूनी समस्या है जिससे घरेलू कामगार अपना काम करने में असमर्थ है और नियोक्ता का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 1)।

- यदि घरेलू कामगार किसी संक्रामक रोग या किसी भी शारीरिक, स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक अक्षमता से पीड़ित है जिससे वह काम करना जारी रखने में असमर्थ है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 2)।

प्रिय नियोक्ता

- जनहित द्वारा लागू कानूनी आवश्यकता के मामले में जो घरेलू कामगार के लिए निवास परमिट जारी करने से रोकता है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 3)।

- जनहित की आवश्यकताओं के लिए घरेलू कामगार का प्रशासनिक निर्वासन (2015 के घरेलू श्रम कानून संख्या 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 4)।

प्रिय नियोक्ता

- यदि कोई घरेलू श्रम भर्ती कार्यालय या कंपनी घरेलू कामगार के बारे में आपको गलत डेटा या जानकारी प्रदान करती है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 5)।

- अगर घरेलू कामगार काम करना जारी रखने से इंकार कर देता है या किसी अज्ञात कारण से छोड़ देता है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ़ 6)।

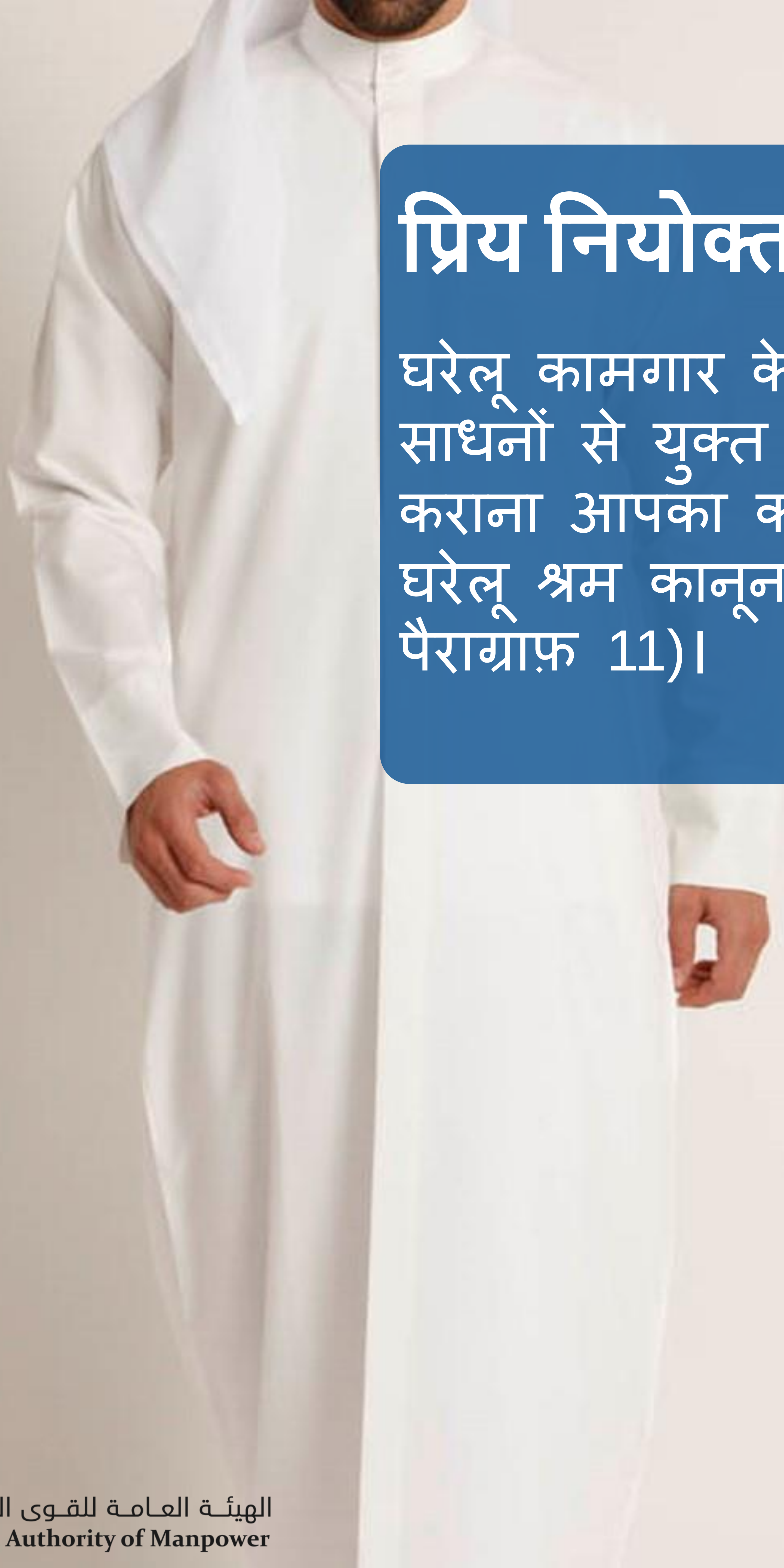

प्रिय नियोक्ता

घरेलू कामगार के लिए रहने के पर्याप्त साधनों से युक्त उचित आवास उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है (2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 का पैराग्राफ़ 11)।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 9 और मॉडल रोजगार अनुबंध (नियोक्ता के दायित्व) के पांचवें आइटम के पैराग्राफ नंबर 2 के अनुसार घरेलू कामगार के लिए एक उपयुक्त जीवन स्तर की गारंटी देनेवाले भोजन कपड़े उचित रूप से प्रदान करना और 1999 के कानून क्रमांक 1 के अनुसार उसके उपचार, नर्सिंग और स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में पंजीकरण का पालन करना आपका कर्तव्य है।

الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता

घरेलू कामगार की मजदूरी का भुगतान आपके लिए काम शुरू करने के पहले दिन से लेकर प्रत्येक ग्रेगोरियन महीने के अंत में किया जाता है, बशर्ते कि यह एक यह घरेलू कामगार द्वारा हस्ताक्षरित रसीद के अनुसार मंत्रिस्तरीय निर्णय में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है और 2015 के घरेलू श्रम कानून संख्या 68 के अनुच्छेद 7 और और मॉडल रोजगार अनुबंध के पाँचवे - नियोक्ता के दायित्वों के पैराग्राफ़ 3 के अनुसार उसके वेतन के लिए ट्रांसफ़र रसीद को मजदूरी प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में माना जाता है।

प्रिय नियोक्ता

कुवैती नागरिक संहिता के अनुच्छेद 7, 2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 22, पैराग्राफ़ 1 और मॉडल रोजगार अनुबंध के खंड पाँच के पैराग्राफ नंबर 4 नियोक्ता के दायित्व के प्रावधानों के अनुसार घरेलू कामगार को काम करने के दौरान या काम के कारण लगने वाली चोटों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

الهيئـة العـامـة للقـوى العاملـة
Public Authority of Manpower

MANPOWERKWT

प्रिय नियोक्ता
2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 8 के अनुसार घरेलू कामगार को मासिक वेतन का भुगतान उसको आपसे काम मिलने की वास्तविक तारीख से होगा और किसी भी तरह से वेतन के किसी भी भाग की कटौती करने की अनुमति नहीं है।
الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower
MANPOWERKWT